सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 25/14 निर्णय दिनांकः— 28.06.2019

1. रामचन्द्र पुत्र पूर्णराम (फौत)

1/1. गोपालराम
1/2. हरीराम
1/3. बृजलाल
1/4. महेन्द्र
1/5. सोना
1/6. शांति

पुत्र/पुत्रियॉ रामचन्द्र पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी पंचारा उर्फ अमरपुरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. पेमाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट
2. भगवानाराम पुत्र तारूराम जाति जाट
3. सोहनराम पुत्र रामजीराम जाति जाट
4. सुरजनदास सपुत्र रामजीदास जाति बैरागी
5. रूपदास पुत्र भगवानदास जाति बैरागी
6. गुलाबदास पुत्र परमदास जाति बैरागी
   निवासीगण पंचारा उर्फ अमरपुरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 24—05—2002
उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर

उपस्थितः

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24—05—2002 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत से होकर जाने वाले कटाणी रास्ते में प्रवेश करने से रोकने के आदेश दिये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कटाणी रास्ता ग्राम पंचारा उर्फ अमरपुरा से भोजासर बड़ा में प्रवेश से रोकने हेतु एक वाद प्रस्तुत किया गया तथा कथन किया गया कि ग्राम पंचारा उर्फ अमरपुरा के खसरा नम्बर 751/548 तादादी 15 बीघा एवं खसरा नम्बर 763/551 तादादी 15 बीघा इस प्रकार कुल 30 बीघा जोकि रेस्पोडेन्ट/वादी की खातेदारी भूमि है, उक्त खसरा नम्बर 548 एवं 551 के मध्य ग्राम पंचारा उर्फ अमरपुरा से ग्राम भोजासर का कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 550 तादादी 11 बीघा 18 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है। उक्त रास्ता अर्सेदराज से चला आ रहा है। उक्त रास्ते को परिवर्तन करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं होते हुए भी उन्होनें अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नया रास्ता खसरा नम्बर 751/551 के दक्षिण व पूर्व की सींव पर तथा सुरजाराम के खेत खसरा नम्बर 753/548 के उत्तर की सींव जाकर पेमाराम के खेत की पूर्व की सींव के सहारे—सहारे भोजासर गांव को जाने हेतु रास्ता कायम किया गया है। जो स्पष्ट रूप से विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में चालू रास्ते को बन्द करते हुए अपीलाधीन आदेश के माध्यम से नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये हैं जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 एवं 92ए के तहत नया रास्ता स्वीकृत करने के

प्रावधान निहित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नया रास्ता कायम करने के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसका कतई कानूनी अधिकार उन्हें हासिल नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य मौजूद होते हुए भी कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व से कटाणी रास्ता उपलब्ध है, आदेश जैर अपील पारित किया गया हैं जिसके अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। यदि अधीनस्थ न्यायालय को रास्ता कायम करने के आदेश पारित करने ही थे, तो ऐसी स्थिति में संबंधित तहसीलदार से मौके की वास्तवकि स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जानी आज्ञापक थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति सामने आ जाती कि क्या रेस्पोडेन्ट को आवागमन हेतु पूर्व में कोई रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश प्रारम्भ से ही शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। ऐसी स्थिति में ऐसे आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1984 पेज 584 व आरआरडी 1996 पेज 109 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। जिसमें प्रवेश करने से पाबन्द करवाने का वह

अधिकारी है। उक्त भूमि पर पूर्व में कोई रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध नहीं था। अपीलांट्स रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत के बीच में से आवागमन करना चाहते है। जिसका उन्हें कतई अधिकार हासिल नहीं है। उक्त आश्य का वाद प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमुनसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसरण में आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा पूर्व में चालू रास्ते पर आवागमन से कभी नहीं रोका गया है परन्तु अपीलांट्स रेस्पोडेन्ट की भूमि के बीच में से आवागमन करने की कोशिश करने लगे पर उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया गया है। रेस्पोडेन्ट के खेत पर ट्यूबवैल व ढाणी बनी हुई है। यदि रेस्पोडेन्ट के खेत के मध्य से रास्ता कायम किया जाता है तो खेत दो टुकड़ों में बंट जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जोकि उनके क्षेत्राधिकार की है। अतः अपीलाधीन आदेश कतई क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया गया आदेश नहीं है। अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के अनुसरण में आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में वादी पेमाराम द्वारा एक वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष वाद संख्या 106/99 पेश किया गया जिसमें रामचन्द्र, भगवानाराम वगैरा ग्रामीणों को प्रतिनिधी बनाया गया। प्रतिवादीगण की गैर हाजरी में दिनांक 24—05—2002 को दावा डिक्री किया गया। जिसके तहत वादी पेमाराम के खेम खसरा नम्बर 548 की दक्षिणी सीमा पर पुराना रास्ता चालू होना मानकर रिकार्ड में पूर्व से ही दर्ज रास्ता खसरा नम्बर 550 के स्थान पर नया रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया गया। साथ ही रास्ते का उपयोग करने तथा पड़ौसी

खातेदार/प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वे खसरा नम्बर 550 के वादी के दो खसरों के बीच के रास्ते की आड़ में नया रास्ता डालकर कब्जा काश्त में दखल न करें। उक्त निर्णय के आधार पर वादी पेमाराम ने खसरा नम्बर 754/548 में 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए छोड़ दी। जिसका नामान्तरणकरण भी दिनांक 28—07—2003 को स्वीकृत कर दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी बीकाने के इस निर्णय के विरूद्व अपील होने पर धारा 188 के तहत जारी उक्त आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर मानकर दिनांक 25—10—2004 को निरस्त कर दिया गया तथा पूर्व में खसरा नम्बर 550 में दर्ज रास्ते का उपयोग करने के आदेश दिये गये। अपील न्यायालय के उक्त आदेश की अपील राजस्व मण्डल के समक्ष किये जाने पर मण्डल ने तकनीकी कमियों के आधार पर आदेश निरस्त करते हुए दोनों पक्षों की और से दर्ज वाद/अपीलों की दुबारा सुनवाई के आदेश दिनांक 20—11—2013 को जारी किये गये।

पेमाराम द्वारा एक अन्य वाद संख्या 75/04 अन्तर्गत धारा 88 के तहत उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के समक्ष पेश किया गया तथा अपने खेत खसरा नम्बर 751/548 व 763/551 के मध्य खसरा नम्बर 550 के रूप में दर्ज रास्ते को नक्शे से हटाकर उसकी खातेदारी में दर्ज करने का अनुतोष मांगा। न्यायालय ने उक्त वाद दिनांक 26—10—2005 को खारिज कर दिया जिसकी अपील इस न्यायालय में पेश की गई जो खारिज कर दी गई।

राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्देश पर उक्त दोनों मामलों की अपील व नजरसानी दर्ज की गई तथा पक्षकारों को पुनः सुना गया।

प्रकरण में नियमित भू—प्रबन्ध कार्यवाही के उपरान्त तैयार जमाबन्दी तथा नक्शें के मुताबिक ग्राम पंचारा उर्फ अमरपुरा का खसरा नम्बर 550 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा गांव की आबादी से भोजासर गांव तक जाने का रास्ता है। यह रास्ता गांव की आबादी से निकलकर रेस्पोडेन्ट्/वादी पेमाराम के खेत खसरा नम्बर 551 तथा 548 के मध्य से आगे जाता है। उक्त खसरों के खातेदार पेमाराम ने इस रास्ते को

अपनी खातेदारी भूमि के बीच में से हटाकर दक्षिण सीमा पर डालने के लिये न्यायालय में दुरूस्ती का वाद किया जो एकतरफा सुनवाई के बाद डिक्री कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी को अधिकार नहीं है कि भू—प्रबन्ध द्वारा दर्ज परम्परागत् रास्ते को पक्षकारों की सहमति के बिना अन्यत्र स्थापित करें व चालू रास्ते को नक्शें से हटा दें।

राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 30—12—2013 में दोनों पक्षों की प्लीडिंग्स को पुनः सुनने के निर्देश दिये है परन्तु अपीलांट/वादी पेमाराम ने ऐसा कोई कानूनी प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत नहीं किया जिसके तहत उपखण्ड अधिकारी को तत्कालीन कानूनी प्रावधान के तहत गैर मुमकिन रास्ते की भूमि की किस्म परिवर्तन करते हुए खातेदारी की धोषणा करने का अधिकार देता हो। उक्त प्रकरण किसी प्रकार की त्रूटि सुधार की श्रेणी का नहीं था फिर भी उपखण्ड अधिकारी ने साक्ष्य के अभाव में एकतरफा प्लीडिंग के आधार पर उक्त निर्णय पारित कर दिया। वादी खातेदार यदि अपनी भूमि में से वैकल्पिक स्थान पर रास्ते के लिए भूमि समर्पित करना चाहता है तो तहसीलदार द्वारा समर्पण स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जा सकता था परन्तु पूर्व में दर्ज रास्ते को नक्शें व जमाबन्दी से हटाकर खातेदार द्वारा प्रस्तावित स्थान पर रास्ता स्वीकृत करने का उपखण्ड अधिकारी का निर्ण्य एकतरफा, मनमाना एवं कानूनी प्रावधानों से असंगत है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट रामचन्द्र वगैरा की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी(उत्तर), बीकानेर का आदेश दिनांक 24—05—2002 निरस्त किया जाता है तथा खसरा नम्बर 550 में दर्ज रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का अवरोध हटाने के आदेश दिये जाते है। उक्त निर्णय के अनुसरण में नजरसानी पेमाराम बनाम सरकार में पूर्व में निर्णित अपील संख्या 64/07 के पुनर्विचार प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर